(५)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2244/दो/2014 विरूद्ध आदेश 28-5-2012 - पारित - व्दारा - अपर कलेक्टर, जिला अशोकनगर - प्रकरण कमांक 01/2010-11 निगरानी

भैयालाल पुत्र सिरनाम सिंह यादव
ग्राम ढेंकन तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

बनवीर सिंह पुत्र सरदार सिंह यादव
ग्राम ढेंकन तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0एस0गौड़)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

आ दे श

(आज दिनांक 2-5-2016 को पारित)

अपर कलेक्टर, जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 01/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-5-12 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने अपर तहसलीदार मुंगावली के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम ढेंकन स्थित भूमि कुल किता 7 कुल रकबा 21.457 हैक्टर में से 1.950 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है)

के पिता सरदार सिंह ने विक्रयपत्र पत्र संपादित कर मौके पर कब्जा सौंप दिया था, तभी से इस भूमि पर वह खेती करके आजीविका चला रहा है। रजिस्ट्री की कापी हलका पटवारी को देकर नामान्तरण की मांग की थी एंव पटवारी ने उसे बता दिया था कि नामान्तरण कर दिया है । इसी बीच विकेता का स्वर्गवास हो गया, जिनके बैध वारिस अनावेदक ने साजिसन अपना नामान्तरण करा लिया तथा इसीके साथ अनावेदक की बहिन मेवावाई, बटनवाई, वाईसाहव पुत्रियॉ सरदार सिंह का नाम भी दर्ज हो गया है जब खसरे की नकलें निकलवाई तब उसे जानकारी हुई कि पटवारी ने उसका नाम इन्द्राज नहीं किया है इसलिये क्रय किये गये रकबे पर नाम इन्द्राज किया जाय। नायव तहसीलदार मुंगावली ने प्रकरण क्रमांक 47 अ 6/10-11 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई के दौरान अनावेदक ने आपत्ति प्रस्तुत की कि मृतक भूमिस्वामी के स्थान पर उसके वारिसान का नामांत्रण हो चुका है इसलिये आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाय। नायव तहसीलदार ने हितबद्ध पक्षकारों को श्रवणकर अंतरिम आदेश दिनांक 30-7-11 पारित किया तथा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण प्रकरण प्रचलन योग्य होना माना। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर अशोकनगर के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 01/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-5-12 से निगरानी स्वीकार कर नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 30-7-11 निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक ने नायव तहसीलदार के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत प्रस्तुत दावे में निम्नानुसार अनावेदक अंकित किये हैं :-

1- बनवीर सिंह पुत्र सरदार सिंह यादव

2- म0प्र0शासन व्दारा पटवारी ग्राम

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत प्रस्तुत दावे में आवेदक ने पद - 1 में इस प्रकार अंकन किया है :-

" **पटवारी मौजा के आश्वासन पर तुम्हारा इन्द्राज कर दिया है प्रार्थी निश्चिन्त होकर अपनी कास्त करता रहा परन्तु उसी बीच विकेता सरदार सिंह का स्वर्गवास हो गया जिनके बैध वारिस में मात्र एक पुत्र बलवीर सिंह है जिसे नाम पर उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में वारिसान की हैसियत से दर्ज है उसके साथ उसकी बहिन मेवावाई, बटनवाई, वाईसाहव पुत्रियां सरदार सिंह के नाम भी दर्ज है** "।

परन्तु दावे में सरदार सिंह की पुत्रियॉ, जो रिकार्डेड भूमिस्वामिनी हैं, मेवावाई, बटनवाई, वाईसाहव को पक्षकार नहीं बनाया है जिसके कारण दावे में पक्षकारों का असंयोजन होने से मूल दावा प्रचलन योग्य एंव ग्राह्य योग्य ही नहीं है।

5/ जहॉ तक जहॉ तक विक्रय पत्र पर से नामान्तरण का प्रश्न है ? विक्रय पत्र दिनांक 21-2-1980 को संपादित हुआ है जबकि इसी विक्रय पत्र पर से नामान्तरण की मांग आवेदन दिनांक 9-5-11 से अर्थात 31 वर्ष वाद की गई है। इस सम्बन्ध में अपर कलेक्टर अशोकनगर व्दारा आदेश दिनांक 28-5-121 के पद

तीन में निकाला गया निष्कर्ष उचित है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में अपर कलेक्टर, जिला अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 01/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-5-12 में निकाले गये निष्कर्षो में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर कलेक्टर, जिला अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 01/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-5-12 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर